

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) समस्त भवन/सूखावट के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन विधि नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वामिन, मजदूरों, व्यवसायों या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कार्य पारदर्शित नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी स्वीकृति के बिना चल सकता होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निर्माण को प्रकृत करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगर के विपरीत निर्माण कार्य करने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है ।

**महाज खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी**

नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 843 दिनांक 06/11/2021  
 आवेदनकर्ता श्री 516 श्री मण्डीलाल शर्मा  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
 प्रा. 194 (7) (घ) के तहत आवासीय  
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र  
 कर स्वनिर्माण राशि रुपये 12216/- जमा  
 करीबे रसीद संख्या 9069/8131 8132  
 दिनांक 26/01/2021 को जमा करा दी है ।

दिनांक 6/11/2021

सहायक नगर निरीक्षक  
 नगर निगम, जोधपुर

जी + 1  
 आवासीय

9414044140